

एव अपात्रीकरण सेख्या 2 ता 3 के अन्तर्गत आवेदन के अन्तर्गत
 सेख्या 817, 884 व 885 का मसल की दाणी. इन श्रमोलाकावात का मसल सिधे
 सिधे की तटमील थोद गिला सीकर के अन्तर्गत है। उन्हे
 हृषि भूमि पात्री व अपात्रीकरण सेख्या 1 ता 6 की समुक्त मसले
 कारन की हृषि भूमि है। जितना वर्ष मिसल एव बाडजान व्यवहार
 नही हुआ है। मसल का मसल व मसल के पस
 मे पुस है व मसल का मसल की पात्री के पस है तथा
 अपात्रीकरण की भी पात्री का ही होगी। इसलिए मसल
 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया गया
 न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार
 किया जाकर विवादित हृषि भूमि नम्बर 817, 884 व
 885 का मसल की दाणी इन श्रमोलाकावात पसल सिधे
 की मे मसलकारन का लयोरान पस/मसल के निस्कारण
 तक मसल न करने हेतु स्वीकृत किया गया है। पसल
 मसल सुभार होकर नम्बर से कम है।
 दाखिल पसल है।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

मसल मसल मसल 12/8/24 का मेरे द्वारा सुले
 मसल के सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर